26/7/22

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में दिनांक 15.1.18 की आदेशिकानुसार प्रतिवादी नं. 8 से 12 व 14, 17 की मृत्यु होना तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट से स्पष्ट जाहिर है व प्रतिवादी नं. 1 से 7, 13, 15 के सम्मन सही पते पर पेश करने के आदेश भी पारित किये गये है परन्तु वर्ष 2018 से आज दिनांक तक बार-बार अवसर दिये जाने के उपरांत भी न कोई आवेदन प्रस्तुत का प्र. पत्र एवं शेष रहे प्रतिवादी के सम्मन पेश करने में असफल रहे है जिससे यह माना जा सकता है कि वादी को वाद को आगे चलाने में कोई रुचि प्रतीत नहीं होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 के तहत निर्देश समय से व आदेशानुसार वर्णित वादी द्वारा न्यायालय आदेश की पूर्ति पालना करने में असमर्थ रहने से पत्रावली की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नत्थी दफ्तर हो

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:48:09 IST
Reason: SelfAttested